

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

क्रमांक / प्रति / पीपीयू/24/11/नग्रानि उज्जैन, दिनांक

श्री महेश प्रजापत व मदनलाल प्रजापत
निवासी 21, नीलगंगा
उज्जैन

विषय :- ग्राम मेडिया सर्वे क्रमांक 92/1/1 एवं 92/1/2 रकबा 0.729
हेक्टर भूमि पर लाजिंग गृह हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 02.08.2011 एवं 26.9.2011

-0-

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि आपके आवेदन दिनांक 02.08.2011 एवं 26.9.2011 द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों एवं शपथ-पत्र के आधार पर एतद् द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 (5) (क) एवं नियम 27 के अधीन ग्राम मेडिया सर्वे क्रमांक 92/1/1 एवं 92/1/2 रकबा 0.729 हेक्टर पर संलग्न मानचित्र में लाल रंग से किये गये संशोधनों के अनुसार लाजिंग गृह निर्माण हेतु स्थल अनुमोदित कर, विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती हैं :-

1. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के पश्चिम दिशा स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18.0मी. रखी जावे। अर्थात् विद्यमान मार्ग के मध्य से 9.0 मी. भूमि छोड़कर विकास कार्य किया जावे। यदि मौके पर 18.0मी. से अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध हो तो उसे यथावत रखा जावे।
2. यह अनुज्ञा केवल लाजिंग गृह हेतु दी जा रही है, इसे किसी भी प्रकार के उपविभाजन की अनुमति नहीं माना जावे।
3. प्रस्तावित लाजिंग गृह परिसर में नियमानुसार पार्किंग हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना आवश्यक होगा। तथा किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मुख्य मार्ग पर स्वीकार्य नहीं होगी।
4. प्रस्तावित भूमि का भू-व्यपवर्तन म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 (संशोधन अधिनियम क्र० 22 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन से उनके नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत कराना होगा।
5. संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार भूतल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र तथा अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 मान्य होगा एवं अधिकतम उचाई 12.0 मीटर (भूतल+3) मान्य होगी। मानचित्र में दर्शाये मार्जिनल ओपन स्पेस को स्थल पर यथावत छोड़ा जाना आवश्यक होगा।

- 6 म0प्र0 ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण) आदर्श उपविधियों 1999 के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम मेडिया, से प्राप्त करना होगी।
- 7 किसी भी प्रकार के विकास / निर्माण कार्य करने से पूर्व समस्त संबंधित विभागो/संस्थाओ से नियमानुसार अनुमति/अनापत्ती प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 8 यह अनुज्ञा पत्र के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध रहेगी। समयावधि में विकास/निर्माण कार्य सम्पन्न न होने पर समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन निश्चित समयावधि के पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 9 संलग्न अभिन्यास को भू-स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
- 10 निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त की जावे :-
 - 1 नजूल अधिकारी।
 - 2 सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा, उज्जैन।
 - 3 अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई अनुमति किसी विभाग से प्राप्त करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे।
- 11 किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी वाद होने पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या इस अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत की जा सकेगी।

संलग्न :- एक अनुमोदित मानचित्र


उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन
उज्जैन दिनांक 24/10/2011

2211
पृष्ठा. क्र. /पीपीयू/24/11/नग्रानि
प्रतिलिपि :-

- 1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 2 सरपंच ग्राम पंचायत मेडिया, उज्जैन की ओर सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. जिला पंजीयक, जिला उज्जैन की ओर अग्रेषित कर लेख है कि वर्ष 2010-11 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार विषयांकित भूमि का मूल्य रूपये 54,00,000/-प्रति हेक्टर की दर के मान से विकास अनुज्ञा शुल्क जमा कराया गया है। यदि दर इससे भिन्न हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

4. वेबसाईड प्रति
संलग्न :- एक अनुमोदित मानचित्र


उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन